संख्या--23/25/1973 कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री जी०पी० शुक्ल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 1985

विषयः-- औद्योगिक इकाईयों में नियुक्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अवसर की समानता के आधार पर वरीयता दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्कालीन मुख्य सचिव के अर्द्ध०शा०प०सं०23/25/1973--नियुक्ति--4, दिनांक 2 जनवरी, 1974 में यह निदेश जारी किये गये थे कि राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में रू० 500 अथवा उससे कम अधिकतम वेतन पाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों के उपयुक्त अभ्यर्थियो को अवसर की समानता के आधार पर तथा अन्य बातों के समान रहते हुए वरीयता दी जाय। कार्मिक सचिव के अर्द्ध०शा०प०सं० 23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 21 नवम्बर, 1983 द्वारा, वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान के आधार पर यह सीमा रू० 860 कर दी गयी है। अर्द्ध०शा०प०सं० 23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 में यह उल्लेख किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाईयों या राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठानों के लिए भूमि अध्याप्ति के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित अनुक्रम में वरीयता दी जाय।

(1) उनके आश्रित जिनकी भूमि अध्याप्ति की गयी है,
(2) सम्बन्धित तहसील के निवासी,
(3) सम्बन्धित जिले के निवासी,
(4) प्रदेश के अन्य जिलों के निवासी।

शासनादेश संख्या--23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 7 सितम्बर, 1976 में यह आदेश जारी किये गये कि भूमि अध्याप्ति के कारण विस्थापित परिवार के लोगों को सम्बन्धित अधिष्ठानों में रिक्त समूह ''ग'' तथा समूह ''घ'' के न्यूनतम वेतनमान के पदों पर चयन के समय, अवसर की समानता के आधार पर तथा अन्य बातो के समान रहने की दशा में वरीयता दी जाय।

2- शासनादेश संख्या-23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 21 फरवरी, 1980 में यह व्यवस्था की गयी थी कि समस्त सरकारी विभागों/अधिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों/निगमों में भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को, उस अध्याप्ति भूमि में लगाये जा रहे प्रोजेक्ट में, योग्यता के अनुसार बिना किसी वेतन सीमा के प्रतिबन्ध के, सम्बन्धित नियोजक द्वारा उपयुक्त पद पर (ऐसे

पदों को छोड़ कर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं) अवश्य ही नौकरी दी जाय। यह भी आदेश दिये गये थे कि, एक रूपता के सिद्धान्त पर निजी तथा अन्य क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों में भी, जिनके लिए शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाय, उपरोक्तानुसार ही व्यवस्था लागू कराई जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही करने वाले अधिकारी, सम्बन्धित नियोजक से किये जाने वाले अनुबन्ध में ही इस प्रकार की शर्त रखेंगे कि सम्बन्दित उद्योग के नियोजक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार, बिना किसी वेतनमान के प्रतिबन्ध के, अनिवार्य रूप से सेवायोजन प्रदान करेंगे। शासनादेश संख्या-23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 5 जनवरी, 1981 में विस्थापित परिवार के एक सदस्य को सेवायोजन देने के सम्बन्ध में परिवार को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

(1) विस्थापित भूमि का भू–स्वामी/भू–स्वामी की पत्नी,
(2) पुत्र तथा पुत्री (अविवाहित)
(3) पुत्र (विवाहित)
(4) पौत्र (पुत्र का पुत्र)
(5) पौत्री (पुत्र की पुत्री) (अविवाहित/
(6) यदि भू–स्वामी के माता–पिता उस पर पूर्णत: आश्रित हैं और वे सेवा में रखने योग्य हैं तो परिस्थिति के अनुसार उनमें से किसी एक को सेवायोजन देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

3. तत्कालीन मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-23/25/1973-कार्मिक-2, दिनांक 21 सितम्बर, 1981 में समस्त पूर्व प्रसारित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि आदेशों का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित कराया जाय। सचिव, कार्मिक विभाग के अर्द्ध०शा०प०सं०-23/25/कार्मिक-2, दिनांक 6 जुलाई, 1983 तथा समसंख्यक अर्द्ध०शा०प०सं०21 नवम्बर, 1983 में आदेशों को पुन: दोहराते हुए यह अनुरोध किया गया था कि समस्त विभागों में तथा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों में आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस कार्य के प्रति, विशेष रूप से किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4. इस विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित किये गये आदेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रश्न पर समयुक रूप से विचारोपरान्त शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:–

(1) औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए जिसकी भूमि अध्याप्ति की गयी है उनका सम्पूर्ण विवरण निश्चित रूप से अध्याप्ति निकाय, सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं शासन से सम्बन्धित विभाग के पास अवश्य रखा जाय।

(2) उक्त विवरण के आधार पर, विस्थापित परिवार के एक सदस्य को सेवायोजन दिये जाने हेतु, प्राथमिकता का क्रम निम्नवत् रखा जाय।

(क) जिनकी समस्त भूमि ले ली गयी है।
(ख) जिनकी अधिकांश भूमि ले ली गयी है।
(ग) जिसकी केवल अंश मात्र भूमि ली गयी है।

(3) सेवायोजन में वरीयता का क्रम उक्त (2) के अनुसार उन्हें दी जाय जिनकी अपेक्षाकृत कम भूमि थी तथा उसमें भी उनकी सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी हो।

(4) जिसकी समस्त भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है तथा जो कृषक गरीबी की रेखा से नीचे हैं एवं वे कृषक जिनके पास अधिग्रहण के बाद यदि कम से कम एक एकड़ या इससे कम भूमि बची हो, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को सम्बन्धित परियोजना में निश्चित रूप से नौकरी दी जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय और न ही किसी प्रकार की छूट दी जाय।

(5) प्रत्येक औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में सेवायोजन के लिए चयन समितियों का गठन किया जाय जिसमें सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, शासन के प्रशासनिक विभाग का एक अधिकारी, राजस्व विभाग के एक अधिकारी एवं जिला/सम्भागीय सेवायोजन के विषय में शासन की निर्धारित नीति का अनुसरण अवश्य हो सके।

(6) शासन के स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु कार्मिक विभाग को प्रत्येक चयन समिति द्वारा किये गये कार्यों की सूचना नियमित रूप से भेजी जाय। यह सूचना प्रत्येक तिमाही के अन्त में प्रथम सप्ताह में शासन को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

(7) जिस जनपद में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाती है, उस जनपद के जिलाधिकारी, नियमित अन्तराल पर, विस्थापितों के सेवायोजन की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते रहेंगे।

5. आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय से, आप अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह० जी०पी० शुक्ल,
सचिव।

संख्या– 23/25/1973-(1) कार्मिक-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।